रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102023-249167 CG-DL-E-05102023-249167

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4180]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2023/आश्विन 13, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2023/ASVINA 13, 1945

No. 4180]

# स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

# अधिसचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4351(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (II) में प्रकाशित, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) में भारत सरकार की 30 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 2808 (अ.) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है. अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, मद संख्या (xix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(xx) श्री पंकज पी ठाकुर, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक"

[फा. सं. एक्स 11014/5/2021-डीआर]

आराधना पटनायक, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में 30 नवम्बर, 2022 के का..आ. संख्या 2808 (अ) के तहत प्रकाशित हुई थी।

6321 GI/2023 (1)

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

#### (Department of Health and Family Welfare)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th October, 2023

**S.O. 4351(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare) vide number S.O. 2808(E), dated the 30th November, 2012, published in Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

In the said notification, after item number (xix) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"(xx) Shri Pankaj P Thakur, Junior Scientific Assistant"

[F. No. X.11014/5/2021-DR]

ARADHANA PATNAIK, Jt. Secy.

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 2808(E), dated the 30th November, 2012.